किशोर न्याय
और
बालकों की देख-रेख

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

किशोर न्याय और बालकों की देख–रेख

प्रकाशक :

'न्याय सदन'
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

किशोर न्याय और बालकों की देख–रेख

'आठ साल के अंकित ने पड़ोस के घर से 10,000 रू. चुराए...'

'चौदह वर्ष के मंगल ने अपने दोस्त को गहरी चोट पहुँचाई.....'

रमेश अनाथ होने के कारण सड़कों पर भीख माँगता है।'

'सोलह साल की कविता ने एक और साथी के साथ, तीन साल के बच्चे का अपहरण किया .....'

कम उम्र के बच्चों से भी चोरी, मार–पीट, अपहरण व हत्या जैसे छोटे–बड़े अपराध हो सकते हैं। क्या हमारी न्याय व्यवस्था बच्चों व बड़ों को एक समान अपराधी मानती है ? क्या बच्चों को भी बड़ों वाली जेलों में रखा जा सकता है ? क्यों उन्हें भी बड़ों के समान ही सजा दी जा सकती है ?

नहीं। हमारे कानूनों के अनुसार कम उम्र के होने के कारण बच्चे नासमझ होते हैं। इसलिए उनमें और बड़ों में अंतर होता है। **न्याय प्रक्रिया का उद्देश्य है कम उम्र के अपराधियों का सुधार व पुनर्वास कर उन्हें समाज में वापिस ले जाना, न कि उन्हें दंड देना।**

अपराध व उनके दण्ड, भारतीय दण्ड संहिता 1860 में दिए गए हैं।

अपराधों की जाँच व न्यायिक प्रक्रिया संहिता 1973 में दी गई है।

बच्चों द्वारा किए गए अपराधों की प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख व संरक्षण) अधिनियम 2000 में दी गई है।

रमेश व उसके भाई राम को पुलिस ने एक बच्चे के अपहरण के आरोप में हिरासत में लिया। अपराध के समय रमेश 21 साल व राम 16 साल का था। क्या दोनों पर एक ही तरह की कानूनी कार्यवाही होगी ?

रमेश पर सामान्य प्रक्रिया लागू होगी किन्तु राम अभी कानूनन 'किशोर' है इसलिए उस पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी

'किशोर' कौन कहलाता है ?

कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है 'किशोर' कहलाता है। यह लड़कियों एवं लड़कों के लिए एक समान है। यह बात किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 नाम के कानून में तय की गई है।

'किशोर न्याय का कानून' क्या है ?

यह छोटे व युवा आरोपियों के लिए एक विशेष कानून है। इस कानून में इन आरोपियों को अपराधी न कहकर ''विधि के विरोध में किशोर'' कहा जाता है और ऐसे बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए हैं :–

- ❖ बाल आरोपी पर सामान्य प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती।
- ❖ बाल आरोपी को हिरासत में लेते ही उसके माता–पिता/अभिभावक को तुरन्त सूचित करना जरूरी है।
- ❖ बाल आरोपी को जमानत पर तुरन्त रिहा करना होगा।
- ❖ उसे 'सुरक्षित गृह' अथवा 'सुधार गृह' में तो भेजा जा सकता है, पर जेल या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
- ❖ उस पर लगे आरोप की जाँच शुरू होने के चार माह में पूरी हो जानी चाहिए।
- ❖ बाल अपराधी को जेल की सजा नहीं हो सकती। उसे सुधारने या पुनर्वास करने के अलग–अलग आदेश हो सकते हैं।

हिरासत के बाद की प्रक्रिया

मीना की उम्र 12 साल है। जहाँ उसकी माँ काम करती है वहाँ उसने एक हार चुराया। पुलिस ने आकर जाँच के बाद उसे हिरासत में ले लिया।

महेश 15 साल का और राजू 17 साल के हैं। दोनों ने दुकान का ताला तोड़ कर उसमें लूटपाट की। अगले दिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर, हिरासत में ले लिया।

13 वर्षीय सुरेश बस में जेब काटते हुए पकड़ा गया। कंडक्टर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

मीना, महेश, राजू व सुरेश को हिरासत में लेने के बाद पुलिस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाए ?

- हर थाने में विशेष बाल प्रकोष्ठ होना चाहिए, जिनके कर्मियों को बाल आरोपियों के साथ व्यवहार का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो। यानि, बच्चों या किशोरों को साधारण लॉक अप में नहीं रखा जा सकता।
- बाल प्रकोष्ठ या थाना प्रभारी (एस.एच.ओ.) का यह कर्तव्य है कि ऐसे किसी भी आरोपी के हिरासत में लिए जाने की जानकारी उसके माता–पिता/अभिभावक को जल्दी से जल्दी दें।
- विशेष बाल पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह इस

मामले की सूचना, बाल न्याय बोर्ड के किसी सदस्य को तुरन्त दे।

❖ परिवीक्षा अधिकारी (प्रोबेशन ऑफिसर) को भी तुरंत सूचित किया जाएगा। इस अधिकारी का यह दायित्व है कि वह आरोपी के परिवार, परिवेश व घटना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित कर बोर्ड के काम में उसकी सहायता करें।

किशोर न्याय मंडल (बोर्ड)

प्रत्येक जिले में किशोर न्याय मण्डल स्थापित किए गए हैं। इसे अंग्रेजी में जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड कहते हैं और आमतौर पर 'जे.जे.बोर्ड' के नाम से जाना जाता है। यह बोर्ड अपराध से जुड़े बच्चों की जाँच करते हैं।

इस बोर्ड के सदस्य कौन होंगे ?

किशोर न्याय बोर्ड में निम्न सदस्य होने चाहिए :

1. एक मेट्रोपॉलिटन अथवा प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट जिन्हें बच्चों के मनोविज्ञान या कल्याण के विषय में विशेष जानकारी या प्रशिक्षण हो।

2. दो सामाजिक कार्यकर्ता जो बच्चों के स्वास्थ्य कल्याण इत्यादि से जुड़े कार्य करते हों। यह आवश्यक है कि उनमें से एक सदस्य महिला हो।

बोर्ड की कार्यवाही कहाँ और कैसे चलेगी ?

बोर्ड की बैठक आमतौर से संप्रेक्षण गृह में होती है। यदि बोर्ड की बैठक न हो रही हो, तो हिरासत में लिए गए किसी बच्चे को बोर्ड के किसी भी एक सदस्य के आगे पेश किया जा सकता है। बोर्ड के सामने पेश करना संभव न हो तो किशोर आरोपी को साधारण मैजिस्ट्रेट के आगे पेश न करके, जिले के ''मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट'' (सीजेएम) के पास पेश किया जाता है, जो किशोर को बोर्ड के पास भेजने के या अन्य कोई आदेश देंगे।

क्या हर सुनवाई में बोर्ड के सभी सदस्यों का होना जरूरी है ?

नहीं, प्रत्येक सुनवाई में सभी सदस्यों का रहना जरूरी नहीं है। मामले के अंतिम फैसले के समय किन्हीं दो सदस्यों का होना जरूरी है, यानि बोर्ड के मुख्य मैजिस्ट्रेट और एक अन्य सदस्य।

आरोपी के किशोर होने का निर्णय कौन और कब लेगा ?

यूँ तो थाने में ही गिरफ्तारी का प्रपत्र (अरेस्ट मेमो) और अन्य दस्तावेज बनते समय आरोपी का बाल होने का दावा करना चाहिए। अगर सही उम्र के विषय में कोई संदेह हो तो यह निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाता है।

दिलीप 16 वर्ष का है। उसे पुलिस ने चोरी के आरोप में

गिरफ्तार किया। उसके बताने पर भी कि वह 16 साल का है, पुलिस ने उसकी उम्र 19 वर्ष दर्ज की। दिलीप क्या करे ?

- दिलीप या उसके माता/पिता/रिश्तेदार इत्यादि को चाहिए कि थाना प्रभारी को यह बात लिखित में दें और अर्जी की एक प्रति अपने पास रखें। यदि दिलीप की उम्र का कोई प्रमाण (जैसे जन्म का पंजीयन, स्कूल का दाखिला, मार्कशीट इत्यादि) है तो उसकी प्रति (फोटोकॉपी) भी साथ लगाए।
- फिर भी यदि पुलिस नहीं मानती और दिलीप को बोर्ड के अलावा किसी मैजिस्ट्रेट के पास पेश करती है, तो यही अर्जी और प्रमाण के कागज मैजिस्ट्रेट के आगे पहली पेशी में ही देने चाहिए।

मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे ?

यदि मैजिस्ट्रेट को आरोपी 18 साल से कम उम्र का दिखता हो या फिर उसके सामने उसके 'किशोर' होने का कोई प्रमाण हो तो वह उसे स्वयं कार्यवाही करने के बजाय, तुरंत बोर्ड के आगे पेश करने के लिए कहेंगे। यानि, साधारण मैजिस्ट्रेट को किशोर आरोपियों की कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है।

आयु तय करने के लिए बोर्ड आरोपी का बयान ले सकता है (लेकिन शपथ–पत्र पर नहीं) वह दोनों पक्षों को अपने तर्क देने का अवसर देगा। जाँच के बाद बोर्ड अपनी राय दर्ज करेगा कि

उसने आरोपी को 'किशोर' पाया या नहीं। ऐसे में जहाँ तक सम्भव हो आरोपी के आयु को स्पष्ट करना चाहिए।

आरोपी की आयु के लिए कौन–कौन से प्रमाण दिए जा सकते हैं ?

बोर्ड के सामने लाए गए आरोपी की आयु तय करने के लिए निम्न प्रमाण दिए जा सकते है :

- ❖ जन्म प्रमाण पत्र,
- ❖ स्कूल का दाखिला/खारिज रजिस्टर
- ❖ हाई स्कूल की अंक तालिका
- ❖ चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा आरोपी की जाँच,
- ❖ एक्स–रे द्वारा हड्डियों की जाँच से भी उम्र का पता किया जा सकता है।

किशोर मानने के लिए कौन सी तारीख मानी जाएगी ?

किशोर न्याय कानून में आने के लिए निम्न बातें जरूरी हैं :–

- ❖ जिस दिन अपराध हुआ, उस तारीख पर नाबालिग होने पर इस कानून का लाभ मिलेगा। यानि, आरोपी बालक या बालिका की आयु उस दिन से देखी जाएगी जिस दिन अपराध हुआ न कि हिरासत में लेने या कार्यवाही पूरी होने की तारीख से।

सोलह साल की प्रतिभा को दुकान पर चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया; किन्तु बोर्ड के सामने पेश किए जाने तक वह 18 साल ही हो चुकी थी। ऐसे में क्या उसे 'किशोर' माना जाएगा?

हाँ, प्रतिभा अपराध होने के समय 'अवयस्क' थी, इसलिए उस पर 'किशोर अधिनियम' के अंतर्गत की कार्यवाही होगी।

शेखर चंद्र को कार चोरी के आरोप में पकड़ा गया। उस पर सामान्य कानूनों में मुकदमा चला और निचली अदालत ने दोषी मान कर सजा सुना दी। उसने अपने निर्दोष होने की अपील उच्च न्यायालय में की। वहाँ भी फैसला अपने विरूद्ध आने पर शेखर ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्दोष होने अपील करते हुए कहा कि घटना के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए उस पर सामान्य दण्ड प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही गलत थी।

❖ यदि बाल आरोपी की उम्र में मामूली संदेह हो, तो भी कार्यवाही **किशोर न्याय अधिनियम** के अनुसार होनी चाहिए।

उम्र का दावा करना

यह जरूरी है कि आरोपी के नाबालिग होने का दावा कार्यवाही के शुरू में या जल्द से जल्द ही किया जाए, क्योंकि बाद में देर से उम्र के सवाल को उठाने पर कानून उसे शक की नजर से देखता है।

याद रखें : कार्यवाही के शुरू में ही उम्र का दावा करना चाहिए। अपील के समय अदालतें आमतौर पर उम्र के दावे को स्वीकार नहीं करती हैं।

बाल आरोपी की जमानत

जमानत क्या है ?

यदि कोई आरोपी जाँच की सुनवाई के समय अदालत के सामने उपस्थित रहने का भरोसा दे तो उसे मामले की सुनवाई के दौरान हिरासत से छुट्टी मिल सकती है। इसका मतलब है कि उसका कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी यह जिम्मेदारी ले कि जरूरत होने पर आरोपी पुलिस व अदालत के आगे जरूर हाजिर हो जाएगा। यदि वह हाजिर नहीं होता तो जमानती एक निश्चित रकम अदालत में जमा करेगा। इसी को जमानत पर रिहाई कहा जाता है।

15 वर्षीय नीलेश को किसी की हत्या के सहयोग में गिरफ्तार किया गया। उसकी माँ ने जब उसे जमानत पर छोड़ने के लिए कहा तो पुलिस का कहना था कि उस पर गैर–जमानती आरोप है, इसलिए उसकी जमानत नहीं हो सकती। लेकिन जब नीलेश को बोर्ड के सामने पेश किया गया, तो उसकी जमानत पर रिहाई हो गई।

सुनीता ने गीतांजली का सोने का हार चुराया, गीतांजली

ने पुलिस में शिकायत कर दी। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो सुनीता ने अपनी उम्र 17 साल बताई; किन्तु वह इसका कोई सबूत नहीं दे सकी। ऐसे में उसे बोर्ड के सामने पेश करना होगा, ताकि उसकी उम्र का निश्चय किया जा सके। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, सुनीता को पुलिस हिरासत या जेल में नहीं रखा जा सकता। उसे या तो निरीक्षण गृह में अथवा जमानती या बिना जमानती के ही जमानत पर छोड़ना होगा।

आरोप दो तरह के होते हैं :

जमानती : जिनमें सामान्य दण्ड प्रक्रिया में आरोपी को मामले की सुनवाई चलने तक, हिरासत से छुट्टी अधिकार के तौर पर मिल सकती है।

गैर–जमानती : जिनके आरोपी को अदालत के आदेश पर ही हिरासत से छुट्टी मिल सकती है। परन्तु बच्चों के लिए सभी अपराध जमानती है–यानि किसी भी अपराध के आरोपी बच्चों को साधारण परिस्थितियों में जमानत मिलने का अधिकार है।

❖ 'किशोर अधिनियम' के अनुसार नीलेश एक नाबालिग है इसलिए उस पर जमानती या गैर–जमानती कोई भी आरोप हो, उसे जमानत पर रिहाई देनी ही होगी।

यानि, बाल अपराधी के मामले में **हर जुर्म जमानती है।**

❖ जमानत थाने में हो सकती है या 'बाल न्याय बोर्ड' द्वारा

की जा सकती है।

- ❖ जमानत के लिए नगद पैसे नहीं दिए जाते। केवल एक फार्म में शपथ पत्र (बॉंड) भरा जाता है। साथ में एक या दो लोग इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि बालक कार्रवाई से फरार नहीं होगा। यदि वह फरार हो गया तो जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्तियों को सरकार को वह रकम देनी होगी जितनी जमानत पत्र में लिखी है।
  - ❑ बाल अपराधी को जमानत नामंजूर करने के केवल तीन आधार हो सकते हैं :
  - ❑ बालक किसी ऐसी संगत में पड़ सकता है जिससे उसे कोई खतरा हो
  - ❑ बालक द्वारा न्याय की प्रक्रिया में दखल देने की आशंका है।
- ❖ बालक को किसी प्रकार की हानि पहुँचने की आशंका हो।

अगर बालक की जमानत नहीं होती तो या उसे पुलिस लॉक–अप या जेल में भेजा जाएगा ?

नहीं। किसी भी हालत में एक बाल अपराधी को पुलिस लॉक–अप या जेल में नहीं रखा जा सकता। बाल अपराधी को बोर्ड द्वारा आरोप की जॉंच पूरी होने तक केवल निरीक्षण गृह में रखा जा सकता है।

संप्रेक्षण या निरीक्षण गृह

इस कानून के तहत राज्य सरकार हर जिले में किशोरों के लिए निरीक्षण गृह होने चाहिए, जहाँ पर बाल आरोपियों को शुरूआती जाँच पूरी होने तक अस्थायी रूप से रखा जा सके।

संप्रेषण गृह में लाने के बाद हर किशोर आरोपी को 'स्वागत कक्ष' या 'रिसेप्शन यूनिट' में रखा जाएगा। वहाँ निम्न बातों के आधार पर उसे निरीक्षण गृह के अलग–अलग हिस्सों में रखा जाएगा :

- ❖ उसकी आयु जैसे 7–12 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, 16–18 वर्ष
- ❖ शारीरिक और मानसिक स्थिति
- ❖ किस प्रकार का आरोप लगा है।

यानि, छोटे और बड़ी उम्र के बच्चों को एक साथ नहीं रखा जा सका। शारीरिक या मानसिक कमजोरी वाले बच्चों के लिए विशेष देखरेख का इंतजाम करना होगा और संगीन अपराधों के आरोपी बच्चों से अलग रखना होगा।

बोर्ड में मुकदमा

यदि किसी नाबालिग पर आरोप है तो उसके मामले की सुनवाई केवल बोर्ड द्वारा ही की जा सकती है। बोर्ड द्वारा यह सुनवाई **चार महीनों** में पूरी हो जानी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में बोर्ड चार महीनों से अधिक समय ले सकता है। ऐसे में बोर्ड को

कार्यवाही का समय बढ़ाने के कारण बताने होंगे। बोर्ड आरोपी के माता–पिता/अभिभावक को किसी खास दिन या पूरी कार्यवाही में उपस्थित रहने का निर्देश दे सकता है। बोर्ड आरोपी बच्चे को उपस्थिति से छुट्टी भी दे सकता है, यदि उससे कार्रवाई पर कोई विपरीत असर न पड़ता हो।

'परिवीक्षा अधिकारी' (प्रोबेशन ऑफिसर) या 'समाज सेवक' द्वारा 'सामाजिक जाँच रिपोर्ट' (सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) (एस. आई.आर.) बनाई जाएगी और बोर्ड के सामने रखी जाएगी।

सामाजिक जाँच रिपोर्ट क्या है ?

कानून में ऐसा माना जाता है कि किशोर की आयु कम होने से, यह जानना आवश्यक है कि उसे किन परिस्थितियों के कारा अपराध किया और उसे सुधारने के लिए उसकी परिस्थिति के अनुसार क्या कदम उठाए जाएं। इसी आधार पर किशोर आरोपी पर कार्रवाई की जाती है।

इस रिपोर्ट में निम्न बातें दी जाती हैं :

- ❖ आरोपी की पारिवारिक पृष्ठ–भूमि,
- ❖ उसका रहन–सहन,
- ❖ घटना क पूरा ब्यौरा
- ❖ आरोपी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ

❖ बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ।

यह एक गोपनीय रिपोर्ट है जिसे बोर्ड किसी भी तीसरे व्यक्ति को नहीं दिखा सकता। इसमें दी गई बातों का सही या गलत होने का पता लगाने के लिए बोर्ड इस रिपोर्ट को आरोपी व उसके अभिभावकों को दिखा सकता है।

यदि सुनवाई के दौरान ही आरोपी 'वयस्क' (18 साल से अधिक) हो जाए तो क्या होगा ?

यदि आरोपी कार्रवाई के चलते बालिग हो जाता है तो भी बोर्ड की जाँच चलती रहेगी और उसी प्रकार निर्णय होगा, मानो आरोपी अभी नाबालिग ही हो।

किसी किशोर आरोपी को दोषी पाने पर बोर्ड क्या आदेश दे सकता है ?

14 साल की तराना को अपने टयूशन टीचर के घर में महंगे इलेक्ट्रोनिक उपकरण चोरी करने के आरोप में बोर्ड के समक्ष उपस्थित किया गया। जाँच व परिवीक्षक या सामाजिक संस्था द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के बाद बोर्ड तराना

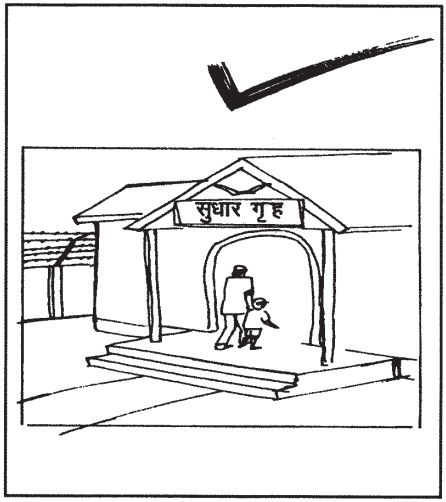

के मामले पर फैसला देगा।

यदि जाँच व सुनवाई के बाद बोर्ड तराना को चोरी के लिए दोषी पाता है तो वह :

- उसको केवल चेतावनी व भविष्य में अच्छे आचरण का उपदेश देकर छोड़ सकता है।
- उसे व उसके अभिभावकों को उसकी आदतें सुधारने के लिए सलाह दे सकता है।
- उसको सामूहिक सलाह या ऐसी दूसरी गतिविधियों में भाग लेने को कह सकता है।
- उसको समाज सेवा के कामों में भाग लेने को कह सकता है।
- उसके अभिभावकों पर जुर्माना कर सकता है और अगर आरोपी की आयु 14 साल से अधिक है और वह कमाता/कमाती भी है तो वह उसे ही जुर्माना भरने को कह सकता है।
- उसे माता–पिता, अभिभावक अथवा किसी अन्य योग्य व्यक्ति के संरक्षण में दे सकता है। ऐसे में उन्हें आश्वासन का शपथपत्र (बॉण्ड) देना होगा। यह शपथ–पत्र अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही हो सकता है।

- ❖ अधिकतम तीन वर्ष के लिए किसी उपयुक्त संस्था के संरक्षण में सौंप सकता है।
- ❖ आरोपी को विशेष सुधार गृह में भेज सकता है। यदि आरोपी 17 साल से अधिक पर 18 साल से कम उम्र का है तो अधिकतम दो साल तक भेजा जाएगा। अगर बच्चा 17 साल से कम का है तो बालिग होने तक भेजा जा सकता है।
- ❖ आरोपी पर मृत्यु दण्ड योग्य आरोप होने पर भी बोर्ड उसे मृत्यु दण्ड नहीं दे सकता।
- ❖ बोर्ड कैसा ही आरोप हो आरोपी को किसी भी प्रकार के कारावास की सजा नहीं दे सकता।
- ❖ बोर्ड जुर्माना या जमानत राशि न चूकाने की सूरत में भी आरोपी को जेल भेजने का फैसला नहीं सुना सकता।

16 साल के हेमराज को दो साल के बच्चे की हत्या के उद्देश्य से अपहरण का दोषी पाया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364 के अनुसार इस आरोप में आजीवन कारावास या दस साल सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा हो सकती है।

हेमराज या उस जैसे किसी भी नाबालिग आरोपी को आजीवन कारावास या जेल की सजा नहीं दी जा सकती। बोर्ड केवल ऊपर दिए गए आदेशों में से ही कोई आदेश दे सकता है।

जैसे कि विशेष गृह में भेजना आदि।

इस कानून के तहत राज्य सरकार निरीक्षण गृह के साथ–साथ प्रत्येक जिले में विशेष सुधार गृह का भी निर्माण कर सकती है। विशेष सुधार गृह में एक बार आरोप सिद्ध होने पर पुनर्वास व देखरेख की व्यवस्था होती है

बोर्ड निम्न परिस्थितियों में आरोपी को विशेष सुधार गृह में रखने का आदेश दे सकता है :

- ❖ यदि बोर्ड पाता है कि परिवेक्षण के दौरान आरोपी का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा। अथवा
- ❖ वह संस्था जहाँ उसे भेजा गया था, अब उसके अच्छे आचरण, सुरक्षा व देखभाल में खुद को असमर्थ पा रही है।

क्या बोर्ड आरोपी के विशेष सुधार गृह में रहने के समय को कम कर सकता है ?

हाँ। यदि बोर्ड की राय में अपराध की प्रकृति व घटना को देखते हुए लगता है कि विशेष गृह में रहने के समय को कम किया जाना चाहिए तो वह ऐसा कर सकता है। उसे अपने आदेश के कारण बताने होंगे।

कुछ परिस्थितियों में बोर्ड आरोपी को किसी 'सुरक्षित स्थान' पर रखने का आदेश दे सकता है :

किशोर आरोपी को 'सुधार गृह' के स्थान पर किसी अन्य 'सुरक्षित

स्थान' पर भी भेजा जा सकता है यदि :

- आरोपी की आयु कम से कम 16 साल हो; और
- उसने अत्यंत गंभीर अपराध किया हो, या उसका आचरण ऐसा हो कि सुधार गृह में रखना उसके या अन्य बच्चों के हित में न हो
- इस कानून में दिए गए कोई उपाय पर्याप्त न मालूम देते हों
- बोर्ड राज्य सरकार को ऐसे में एक रपट देगा और राज्य सरकार उस पर आदेश पारित करके उस बालक के रहने की समुचित व्यवस्था करेगी।

बन्टी छः माह से सुधार गृह में रह रहा है। उसकी माँ दुर्घटना में चोट लग जाने पर अस्पताल में थी। उसके परिवार ने बोर्ड से बन्टी को सुधार गृह से छुट्टी देने की प्रार्थना की। बाल आरोपी को विशेष सुधार घर से छुट्टी मिलने के कुछ आधार हैं :

- परीक्षा
- परिवार में किसी सदस्य का विवाह
- परिवार में किसी की गंभीर बीमारी या दुर्घटना अथवा मृत्यु
- ऐसी ही कोई अन्य आपातकालीन स्थितियाँ।

यह छुट्टी इन शर्तों के साथ दी जाती है :

- ❖ छुट्टी अधिकतम सात दिन के लिए हो सकती है जिसमें यात्रा में लगने वाला समय शामिल नहीं है।
- ❖ ऐसी छुट्टी में बिताये गये समय को सुधार गृह में बिताया गया समय ही माना जायेगा।

क्या किसी को सुधार गृह से छोड़ा जा सकता है ?

परिवेक्षण अधिकारी, समाज–सेवी संस्था इत्यादि की रिपोर्ट के आधार पर :

- ❖ बोर्ड आरोपी को सुधार गृह से रिहा करने का आदेश दे सकता है।
- ❖ आरोपी को अपने माता–पिता/अभिभावक अथवा अन्य किसी योग्य व्यक्ति के संरक्षण में सौंपा जा सकता है जो उसकी देखभाल व पुनर्वास का जिम्मा लेने को तैयार हो।

आदेशों में बदलाव व अपील का अधिकार

बालक को किस संस्था में भेजा जाए या किस व्यक्ति के निरीक्षण या संरक्षण में आरोपी को रखा जाए, इन विषयों पर बोर्ड अपने फैसले में संशोधन भी कर सकता है, यानि इन्हें बदल भी सकता है।

अपील

15 साल की सुमन को बोर्ड ने दो साल के लिए सुधार गृह में भेजने का फैसले दिया। उसके पिता इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं। वह क्या करें ?

- सुमन के पिता 'अपील' कर सकते हैं यानि बड़ी अदालत में फैसला लेने की अर्जी दे सकते हैं।
- अपील सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में होगी।
- बोर्ड के आदेश के विरूद्ध अपील 30 दिन के अन्दर करनी होगी।
- सेशन कोर्ट इन मामलों में अंतिम निर्णय देगा। इसके आदेश के बाद कोई अपील नहीं हो सकती।

फिर भी, उच्च न्यायालय अपने अधीन अदालतों में हुए कार्यवाही पर पुनः विचार का अधिकार रखता है। वह बोर्ड/सेशन कोर्ट की कार्यवाही आदेशों की जाँच कर सकता है।

अस्वस्थ बाल आरोपियों की देखरेख

अस्वस्थ बाल आरोपियों के उपचार व देखभाल का भी प्रावधान किया गया है।

सात साल की सितारा को पैसे चुराने के आरोप में बोर्ड के सामने पेश किया गया। जाँच में उसे दोषी पाया गया किन्तु साथ

ही बोर्ड को यह भी पता चला की सितारा हृदय रोग से पीड़ित है और उसे लगातार इलाज की जरूरत है।

नरेन्द्र को बोर्ड ने सुधार गृह में रखने का आदेश दिया था किन्तु वहाँ आने पर पता चला कि वह कुष्ठ रोगी है और उसे इलाज की जरूरत है। ऐसे में बोर्ड क्या करे ?

बोर्ड किसी बालक को :

- ❖ मानसिक उपचार केन्द्र,
- ❖ कुष्ठ निवारण केन्द्र,
- ❖ नशा मुक्ति केन्द्र या
- ❖ अन्य सुरक्षित स्थान पर भेज सकता है।

बाल आरोपी के कुछ अन्य अधिकार

हमारे कानूनों में कुछ अपराधों का दोषी पाए जाने पर आरोपी व्यक्ति के कुछ अधिकार उस से ले लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए उसे पंचायत, राज्य व केन्द्रीय चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाता है। कुछ नौकरियों पर भी पाबंदी लग जाती है। पासपोर्ट इत्यादि के फार्म में इसकी जानकारी देनी पड़ती है।

यदि किसी नाबालिग पर कोई आरोप सिद्ध भी हो जाए तो भी उसके अधिकारों या जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। **ऐसा माना जाएगा जैसे वह अपराध हुआ ही नहीं।**

इसके लिए :

- ❖ बाल आरोपी पर कार्यवाही से जुड़े दस्तावेजों को निर्धारित समय के बाद नष्ट कर दिया जाएगा।
- ❖ समाचारपत्र, पत्रिकाओं व टी.वी. चैनलों को, बाल आरोपियों से जुड़े समाचारों में।

उनके नाम, घर का पता और वह किस स्कूल में पढ़ रहे हैं आदि सूचनाएँ जिनसे की उनकी पहचान हो सके। प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकते। उनके चित्र भी नहीं छापे दिखाए जाने चाहिए।

इस नियम का उल्लंघन होने पर बोर्ड ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1000/– रूपये तक दण्ड दे सकता है।

यदि बोर्ड को इसमें कोई फायदा लगे तो सीमित जानकारी देने का आदेश दे सकता है।

सुरक्षा व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे

बारह साल की कमला का कोई घर नहीं है, न ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ उसे छत नसीब हो। वह दिल्ली की सड़कों पर भटकती है। उसके पास जीवन की मूल जरूरतों जैसे भोजन, कपड़े और घर भी नहीं है।

आरिफ के पिता तो हैं लेकिन शराब के आदी होने के कारण वह आरिफ से मार–पीट करता है और उसका आरिफ पर

कोई नियंत्रण भी नहीं है।

कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है; लेकिन जिन्हें सरकार से संरक्षण व सुरक्षा की बेहद जरूरत है।

किशोर अधिनियम में ऐसे बच्चों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं जिन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा व संरक्षण की जरूरत है। यानि ऐसे बच्चे लड़के व लड़कियाँ जिनकी उम्र 18 साल से कम है। कमला व आरिफ जैसे बच्चों की देखभाल, सुरक्षा व पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।

बाल कल्याण समिति

हर जिले में 'बाल कल्याण समिति' की स्थापना की गई है। यह समिति बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह समिति :

- ❖ बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार व पुनर्वास के मामलों का काम करेगी।
- ❖ उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करेगी।
- ❖ बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाएगी।

समिति में कौन लोग सदस्य हो सकते हैं ?

समिति में अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होने चाहिए।

इनमें से एक बाल मामलों का विशेषज्ञ व एक का महिला होना जरूरी है।

सुरक्षा व संरक्षण के जरूरत वाले बच्चे कौन हो सकते हैं?

- रमेश के माता–पिता/अभिभावक तो हैं किन्तु बीमारी के कारण वे उसकी देखभाल नहीं कर सकते।
- ज्योति एक अनाथ है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
- इकबाल के माता–पिता ने उसे छोड़ दिया है और खोजने पर भी उनका पती नहीं लग पाया है।
- राकेश अपने चाचा–चाची के साथ रहता है, जो उससे मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। संभव है कि ऐसा कुछ हो ही जाए।
- मानसी अपने सौतेले पिता के साथ रह रही है, जो उसकी माँ पर अत्याचार करता है। मानसी को सौतेले पिता से जान का खतरा है।
- नेहा मानसिक रूप से कमजोर है और उसकी मदद और देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
- सुभाष व्हील–चेयर पर रहने को मजबूर एक अपंग है, और उसकी भी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

- ❖ प्रेम को एड्स है, इसलिए सबने उसे बेसहारा छोड़ दिया है।
- ❖ राजेन्द्र को नशा करने की लत पड़ चुकी है।
- ❖ बीना का शारीरिक शोषण होता रहा है।
- ❖ गोपीनाथ सांप्रदायिक दंगों का शिकार हुआ है। उसके माता पिता दोनों मारे गए।
- ❖ भूकंप में करीम का पूरा घर–परिवार ही नष्ट हो गया और अब उसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है।

ऐसे हालातों के शिकार बच्चों को समिति के सामने सुरक्षा व संरक्षण के लिए पेश किया जा सकता है।

बच्चे को समिति के सामने कौन ला सकता है ?

- ❖ पुलिस अधिकारी
- ❖ पुलिस के बाल प्रकोष्ठ का कोई सदस्य
- ❖ पुलिस का अधिकृत अधिकारी
- ❖ कोई लोक सेवक
- ❖ कोई समाज सेवी या कोई भी सचेत व्यक्ति;
- ❖ चाईल्डलाईन नामक संस्था या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य स्वयंसेवी संस्थाएँ
- ❖ बच्चा स्वयं भी समिति से संपर्क कर सकता है

जाँच पूरी होने तक समिति उस बच्चे की 'बाल गृह' या आश्रय गृह में रहने की व्यवस्था करेगी।

समिति द्वारा जाँच व सुनवाई

दस साल के राहुल को सड़क से बहुत कमजोर हाल में पाया गया। उसे समिति के सामने लाया गया और जाँच के बाद समिति ने पाया उसके परिवार का कोई अता–पता नहीं है और कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे में समिति क्या करे ?

- ❖ समिति एक आदेश द्वारा ऐसे बच्चे को 18 साल की उम्र तक 'बाल गृह' या 'आश्रम गृह' में रहने की व्यवस्था कर सकती है।
- ❖ यदि उस बच्चे के माता–पिता या कोई अन्य अभिभावक हो, तो समिति जाँच के समय उनको उपस्थित रहने को कह सकती है।

बाल गृह और आश्रय स्थल

- ❖ प्रत्येक जिले में 'बाल गृह' की स्थापना की गई है, जहाँ जरूरतमंद बच्चों को जाँच के दौरान रखा जा सके और जाँच के बाद भी उनकी देखभाल, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण व पुनर्वास की व्यवस्था होने तक बच्चे को रखा जा सके।
- ❖ आश्रय स्थलों की स्थापना का भी प्रावधान है, जहाँ कि जरूरतमंद बच्चे सहायता व देखभाल के लिए आ सकते हैं।

❖ ऐसे किसी बच्चे को पुलिस अधिकारी, जन सेवक या कोई मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था आश्रय स्थल पर ला सकती है।

क्या बाल गृह में रह रहे बच्चों के अभिभावकों को उनकी देखभाल का खर्च देना होगा ?

यदि समिति को लगता हो कि बच्चे के अभिभावक उसका खर्च दे सकते हैं तो वह ऐसा आदेश दे सकती है।

बच्चे को उसके परिवार में वापिस कब भेजा जा सकता है?

'बाल गृह' व 'आश्रय स्थल' दोनों का यह प्रयास रहता है कि जहाँ तक संभव हो बच्चे के परिवार को खोज कर उसे वापिस उसके परिवार या अभिभावक के पास भेजा जाये। बच्चे को परिवार, अभिभावक अथवा अन्य किसी योग्य व्यक्ति को सौंपने का निर्णय केवल समिति ही ले सकती है। 'अभिभावक' यानी–बच्चे के माता–पिता, अन्य पालनकर्ता अथवा जिस किसी ने बच्चे को दत्तक (गोद) लिया है।

दत्तक

बच्चों को सुरक्षा व संरक्षण देने की मूल जिम्मेदारी तो उसके परिवार की ही है किन्तु कभी–कभी बच्चे अनाथ, निराश्रित व शोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को समिति द्वारा किसी को गोद भी दिया जा सकता है।

बच्चे को दत्तक देने के लिए किन शर्तों का पूरा होना जरूरी है ?

- ❖ किसी भी अनाथ या परित्यक्त बच्चे को दत्तक से पहले, समिति के दो सदस्यों को उन्हें दत्तक दिये जाने के लिए कानूनी तौर पर उपयुक्त घोषित करना होगा।
- ❖ यदि बच्चा माँ–बाप द्वारा छोड़ दिया गया हो, तो ऐसा किये कम से कम दो महीने हो चुके हो और वह उसे वापस न लेना चाहते हों।
- ❖ यदि बच्चा अपनी सहमति देने योग्य हो तो दत्तक देने के लिए उसकी सहमति लेना भी अनिवार्य है।
- ❖ समिति को यदि उचित लगे तो वह एकल अभिभावक (महिला या पुरूष) को भी बच्चा दत्तक दे सकता है।
- ❖ इस कानून में, समान लिंग की संतान के होते हुए भी उसी लिंग के बच्चे को दत्तक लिया जा सकता है। यानि, जिनकी लड़की हो या लड़का हो, वह एक और लड़की/लड़का समिति से गोद ले सकते हैं।
- ❖ दत्तक देने से पहले बच्चे को थोड़े या लम्बे समय के लिए ऐसे परिवार के साथ रखा जा सकता है।

बच्चों की सुरक्षा और उनके साथ सही व्यवहार करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है। कई तरह का किया गया व्यवहार अपराध हो सकता है :

अपराध	कानून और धारा	सजा
किसी भी हिरासत, संरक्षण या देखरेख में बच्चे के साथ मार–पीट डराना–धमकाना या प्रताड़ित करना	किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 धारा 23	6 महीने तक कैद और जुर्माना
बच्चे को भीख मंगाने के काम में लगाना	किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 धारा 24	3 साल तक कैद और जुर्माना
बच्चे का अपहरण करना	भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा 363	7 साल तक कैद और जुर्माना
बच्चे को भीख मांगने के लिए अपहरण करना अपंग बनाना	भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा 363 क	10 साल तक कैद और जुर्माना, उम्र कैद और जुर्माना
बच्चे को कत्ल के लिए या फिरौती के लिए अपहरण करना	भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा 364–364 क	उम्र कैद और जुर्माना मृत्यु दण्ड या उम्र कैद और जुर्माना
यौनिक संबंध बनाने के लिए बच्ची को कहीं ले जाना	भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा 366 क	10 साल तक कैद और जुर्माना
दस साल से छोटे बच्चे से चोरी करने के इरादे से अपहरण करना	भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा 369	7 साल तक कैद और जुर्माना
वैश्यावृत्ति के लिए बच्चे को बेचना खरीदना	भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा 372–373	10 साल तक कैद और जुर्माना
16 साल से उम्र की बच्ची के साथ यौन संबंध	भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा 376	उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माना

प्रकाशक

'न्याय सदन'

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397

ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com

वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in

स्रोत : नई दिल्ली